न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -41/2021

अनवान

देवीलाल पुत्र धन्नालाल जी शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 71 वर्ष, पेशा काश्त, निवासीी ग्राम दौलपुरा, प0ह0 टोलो का लुहारिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

-वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

रामलाल पुत्र धन्नालाल जी शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 65 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी ग्राम दौलपुरा, प0ह0 टोलो का लुहारिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।.... प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री प्रदीप बीलू अभिभाषक प्रार्थी
अर्जुन सिंह चुण्डावत अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 23.10.2024

प्रार्थी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने हज न्यायालय में एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 रा0टि0एक्ट का पेश किया है, वादी को आशा है कि वाद-पत्र अवश्य ही डिक्री होगा लेकिन वाद पत्र के निर्णय में समय लगेगा। प्रार्थी के खाते व कब्जे की जमीन ग्राम दौलपुरा, प0ह0 टोलों का लुहारिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, में स्थित है जिसके खाता संख्या 21 है जिसमें खसरा संख्या 107, रकबा 2.27 तथा खसरा संख्या 170 रकबा 1.670 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 3.94 हेक्टर जमीन स्थित है, यह कि जमीन प्रार्थी की स्वअर्जित है। जमीन प्रार्थी के नाम आवंटित हुई थी तथा प्रार्थी ने इस जमीन को अंग मेहनत कर काबिज काश्त बनाया है प्रार्थी ने अपने खाते की जमीन पर चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक रावतभाटा से ऋण भी ले रखा है। विपक्षी जबरन प्रार्थी के खाते की जमीन छिनना चाहते है विपक्षी ने धमकी दी है कि खसरा संख्या 170 वाली जमीन पर कब्जा करके रहेगा और प्रार्थी को इस जमीन को नहीं हांकने देगा दिनांक 08.06.2021 को विपक्षी ने इसी बात को लेकर प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा किया व मारपीट भी की है। विपक्षीी गांव में ऐलानिया कहता फिर रहा है कि मैं प्रार्थी की खसरा संख्या 170 वाली जमीन पर कब्जा करके रहूगा चाहे इसके लिए मुझे खून खराबा भी क्यों न करना पड़े, विपक्षी की धमकियों से प्रार्थी अपने खेत पर नहीं आ जा पा रहा है, अभी फसल की बुवाई का समय है विपक्षी कभी भी लड़ाई-झगड़ा करके प्रार्थी के खाते की जमीन पर कब्जा कर सकता है, इसलिए विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतू यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया जा रहा है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमा ताफैसला वाद तक विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह ग्राम दौलपुरा, प0ह0 टोलों का लुहारिया में स्थित प्रार्थी के खाते की आराजीयात खाता संख्या 21, खसरा संख्या 107, 170 पर अनाधिकृत कब्जा कर काश्त करने का प्रयास नहीं करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न स्वयं करे व न ही अन्य से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब करने पर विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत मय वकालतनामा प्रस्तुत हो जवाव प्रस्तुत किया। जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा जो वाद पेश कर रखा है, वह झूठा एंव मनगढंत तथ्यों पर पेश कर रखा है, वह निश्चित ही खारीज होगा। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 का जवाब है कि उक्त पैरा में वर्णित कृषि भूमि वादी एवं अप्रार्थी के पिता धन्नालाल जी के द्वारा काफी अंग मेहनत कर व रूपया [illegible] को काबिल काश्त बनाया था तथा एलोटमेन्ट से पूर्व ही उक्त जमीन का वंटवारा धन्नालाल [illegible] के [illegible] अपने सभी संतानो के मध्य कर कव्जा धन्नालाल जी ने अपने सभी संतानों को [illegible] कर [illegible] जब एलोटमेंट आया तव उक्त जमीन को धन्नालाल जी के द्वारा उनकी संतान देवीलाल [illegible] अन्य सभी संताने नावालिग होने के कारण उक्त जमीन का एलोटमेंट देवीलाल जी के नाम करवा दिया था,लेकिन देवीलाल जी ने प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि का बंटवारा [illegible] सभी संतानों के मध्य कर दिया था, उक्त बंटवारा आज से लगभग 40 पूर्व कर दिया गया था, तभी से धन्नालाल जी की सभी संताने अपने हिस्से की कृषि भूमियों पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा 40 वर्षों से एडवस पजेशन उक्त भूमि पर विपक्षी रामलाल जी का चला आ रहा है, जिससे स्पष्ट प्रमाणित है कि उक्त भूमियां धन्नालाल जी के कब्जे स्वामित्व में है। विपक्षी रामलाल का प्रथम दृष्टया प्रमाणित केस है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriy
Date: 2024.11.11 15:36:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

विगत 40 वर्षो आराजी संख्या 170 पर विपक्षी रामलाल काविज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा उक्त जमीन को काबिल काश्त बनाने में विपक्षी द्वारा काफी अंग मेहनत व रूपया खर्च कर काविल काश्त बनाया है, इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है, क्योंकि अगर उक्त झूठे प्रार्थना पत्र की आड में अगर विपक्षी को उसके कब्जे स्वामित्व की भूमि से बेदखल कर दिया तो उसके बाल बच्चों के भूखे मरने की नौबत जाएगी तथा विपक्षी रामलाल को काफी अपूर्णीय क्षति होगी। अंत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर मय हर्जे के खारिज करने का निवेदन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार रावतभाटा से जवाब तलब किया गया। जवाब अनुसार ग्राम दोलपुरा की आराजी संख्या 107 रकबा 2.27है0 भूमि देवीलाल पिता धन्नालाल ब्राहम्ण हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार एवं आराजी संख्या 170 रकबा 1.67है0 भूमि देवीलाल पिता धन्नालाल ब्राहम्ण हिस्सा 20/23, ईश्वरलाल पिता मांगीलाल हिस्सा 3/46, राकेश कुमार पिता भगवानलाल धाकड हिस्सा 3/46 सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। आराजी संख्या 107 रकबा 2.27है0 भूमि पर वर्तमान में देवीलाल, रामलाल, ओमप्रकाश, जगदीश, बाबूलाल पिता धन्नालाल ब्राहम्ण सा. देह का संयुक्त कब्जा एवं काश्त है एवं उपरोक्त आराजी पर कोई विवाद होना नहीं बताया गया। आराजी संख्या 170 रकबा 1.67है0 भूमि देवीलाल पिता धन्नालाल ब्राहम्ण हिस्सा 20/23 पर पत्थर की बाउण्ड्री बनाई जाकर उक्त हिस्सा वर्तमान में पडत होकर कन्टीली झाडीया होकर विवादित स्थान है। जिस पर पूर्व में देवीलाल, रामलाल, ओमप्रकाश, जगदीश, बाबूलाल पिता धन्नालाल द्वारा संयुक्त रूप से कब्जा एवं काश्त कर रखा था। उक्त आराजी के चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल श्री देवीलाल द्वारा बनाया होना बताया है।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते व कब्जे की जमीन ग्राम दौलपुरा, प0ह0 टोलों का लुहारिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, में स्थित है जिसके खाता संख्या 21 है जिसमें खसरा संख्या 107, रकबा 2.27 तथा खसरा संख्या 170 रकबा 1.670 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 3.94 हेक्टर जमीन स्थित है, यह कि जमीन प्रार्थी की स्वअर्जित है। जमीन प्रार्थी के नाम आवंटित हुई थी, इस बावत प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद कर ग्राम दौलपुरा प0ह0 टोलो का लुहारिया में स्थित प्रार्थी के खाते की आराजीयात खाता संख्या 21 खसरा संख्या 107, 170 पर अनाधिकृत कब्जा कर काश्त करने का प्रयास नहीं करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी न स्वयं करे न ही अन्य से कराने का निवेदन किया। इसके विपरित वकील अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के पिता धन्नालाल जी के द्वारा काफी अंग मेहनत कर व रूपया खर्च कर जमीन को काबिल काश्त बनाया था तथा एलोटमेन्ट से पूर्व ही उक्त जमीन का वंटवारा धन्नालाल जी के द्वारा अपने सभी संतानो के मध्य कर कब्जा धन्नालाल जी ने अपने सभी संतानों को सिपुर्द कर दिया था, लेकिन जब एलोटमेंट आया तब उक्त जमीन को धन्नालाल जी के द्वारा उनकी संताने देवीलाल को छोडकर अन्य सभी संताने नाबालिग होने के कारण उक्त जमीन का एलोटमेंट देवीलाल जी के नाम करवा दिया था, उक्त वर्णित कृषि भूमि का वंटवारा अपनी सभी संतानों के मध्य कर दिया था, उक्त वंटवारा आज से लगभग 40 पूर्व कर दिया गया था, तभी से धन्नालाल जी की सभी संताने अपने हिस्से की कृषि भूमियों पर काविज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अतः प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत ग्राम दौलपुरा, प0ह0 टोलों का लुहारिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, में स्थित है जिसके खाता संख्या 21 है जिसमें खसरा संख्या 107, रकबा 2.27 तथा खसरा संख्या 170 रकबा 1.670 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 3.94 हेक्टर कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज होने से प्रथमदृष्टया हक प्रार्थी का होना साबित होता है, जिससे सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी के पक्ष में न होकर प्रार्थी के पक्ष में अधिक है, किन्तु रिपोर्ट तहसीलदार रावतभाटा अनुसार उक्त आराजीयात पर प्रार्थी व अप्रार्थी व अन्य का कब्जा होने का निवेदन किया है।अतः मूल वाद के निस्तारण पर ही स्थिति स्पष्ट होना प्रतित होती है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना [illegible] जाकर उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वह [illegible] मूल वाद के निस्तारण तक अपने-अपने कब्जे काश्त अनुसार [illegible] आराजीयात पर किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न स्वयं करे न अन्य किसी व्यक्ति [illegible] करावे।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.11.11 15:36:34 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा